(43)

संख्या- 2087/बयालिस-2016-16(विविध)/2013

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

जी-438
24/10/16

खेल विभाग

लखनऊ : दिनांक 19 अक्टूबर, 2016

विषय :- राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 935/स्पो0एक0स्था0/2012-13, दिनांक 22 जनवरी, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी क्षेत्र में खेल अकादमियों को विकसित करने से अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा। खेलों हेतु अनुकूल वातावरण तैयार होगा। खेल संघों/खिलाडियों और औद्योगिक संस्थानों के साथ निजी सहभागिता कर पूँजी निवेश तथा तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन मिलेगा एवं मानव संसाधन का विकास होगा। निजी सहभागिता से खेल अकादमियों का विकसित करने हेतु निम्नवत् निर्णय लिये गये है।

2- भूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध में :-

(1) खेल अकादमी के लिए सामान्यतः इण्डोर खेलों के लिए 01 से 02 एकड़ तक एवं आउटडोर खेलों के लिए 03 से 05 एकड़ तक भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। अधिकतम 02 वर्ष मे निर्माण कार्य पूरा करके अकादमी का संचालन प्रारम्भ हो जायेगा, निर्माण कार्य हेतु 01 वर्ष मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा बढाया जा सकेगा निर्धारित अवधि में भूमि पर निर्माण न कराये जाने की दशा में स्वतः भूमि का स्वामित्व संबंधित आवेदक से निरस्त हो कर वापस खेल विभाग का हो जायेगा। मान्यता प्राप्त खेलों में प्रत्येक खेल के लिए अधिकतम एक अकादमी विकसित करने हेतु भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)- भूमि का चिन्हांकन प्राधिकरणों/जिलाधिकारी द्वारा करते हुए भूमि बताई जायेगी। सरकार द्वारा भूमि चिन्हांकन में सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा आवेदक को भूमि शासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- भूमि के लिए खेल संघ/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन, विश्वकप,. (प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली प्रतियोगिता) मे प्रतिभाग किया हो, को आवेदन करना होगा जिसमें आवेदक को यह प्रतिबद्धता करनी होगी कि निर्माण लागत तथा संचालन पर होने वाला आवर्तक/अनावर्तक व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा, आवेदक को वित्तीय श्रोतों के संबंध में प्रस्ताव देते समय अवगत कराना होगा एवं अकादमी हेतु आवेदक सी0एस0आर0 के अन्तर्गत भी सहायता प्राप्त कर सकते है।

(4)- भूमि की आवश्यकता एवं आवंटन का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा होगा जिसके सदस्य प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव, नियोजन, प्रमुख सचिव, आवास सदस्य तथा प्रमुख सचिव, खेल सदस्य/संयोजक होंगे।

(5)- संबंधित आवेदक द्वारा अकादमी की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव निदेशक खेल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसका परीक्षण प्रमुख सचिव, खेल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिसके सदस्य निदेशक खेल, जिस जिले में अकादमी स्थापित होनी है उस जनपद के जिलाधिकारी, संबंधित जिले के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/आवास आयुक्त, संबंधित खेल संघ के सचिव तथा एक सम्बन्धित खेल के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी होंगे। इस समिति द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रस्ताव का परीक्षण कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता की समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(6)- खेल विभाग द्वारा भूमि लीज के आधार पर दी जायेगी जिसकी प्रक्रिया का निर्धारण न्याय विभाग के परामर्श से खेल विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

(7)- अकादमी हेतु जो भी भूमि क्रय की जायेगी वह खेल विभाग, उत्तर प्रदेश निदेशक, खेल के नाम ली जायेगी तथा निदेशक, खेल द्वारा संबंधित खेल संघ को उपलब्ध करायी जायेगी।

(8)- लाइसेन्स के आधार पर अकादमी विकसित किए जाने का दायित्व खेल संघ/आवेदक का होगा।

3- <u>अनुश्रवण समिति (मानीटरिंग कमेटी)</u>

निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने के लिये प्रमुख सचिव, खेल की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। समिति निम्न प्रकार से गठित होगी :-

1-	प्रमुख सचिव, खेल	अध्यक्ष
2-	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3-	निदेशक अकादमी	सदस्य
4-	निदेशक, खेल	सदस्य
5-	सम्बन्धित खेल के अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी	सदस्य
6-	सम्बन्धित खेल संघ के सचिव/महासचिव	सदस्य

उक्त समिति द्वारा अकादमी के निर्माण कार्यों का तिमाही अनुश्रवण, समिति की बैठक में किया जायेगा तथा अकादमी के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में समिति की बैठक साल में एक बार आयोजित की जायेगी।

4- <u>बजट</u>

अकादमी के संचालन एवं निर्माण कार्य पर होने वाला समस्त आवर्तक/अनावर्तक व्यय संबंधित आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

5- <u>नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं:-</u>

(1)- आवेदक द्वारा अकादमी की स्थापना खेल संघ/एसोसिएशन/खिलाड़ी के सहयोग से करायी जायेगी।

(2)- आवेदक द्वारा खेल अकादमी उन्हीं खेलों की स्थापित की जाए, जो अखिल भारतीय ओलम्पिक संघ से सम्बद्ध (एफिलिएटेड) है व जिनकी प्रदेश में विकास की प्रबल संभावना है।

(3)- संबंधित खेल संघों/आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अकादमी का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हो। संबंधित खेल संघों को अपने प्रारम्भिक प्रस्ताव में ही अकादमी की स्थापना हेतु वित्तीय श्रोतों के संबंध में अवगत कराना होगा।

(4)- अकादमी में कम से कम 50 प्रतिशत खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के होंगे जो खिलाड़ी मैरिट के अनुसार चयन में पात्र पाये जायेंगे परन्तु आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे उनको 50 प्रतिशत के अन्तर्गत 15 प्रतिशत की सीमा तक नि:शुल्क रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी उन खिलाड़ियों को माना जायेगा:-

(क) जो उत्तर प्रदेश के वास्तविक मूल निवासी (बोनाफाइड डोमीसाइल) हैं।

(ख) जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय अथवा स्पोर्टस हास्टल का कम से कम 02 वर्ष तक छात्र रहा/रह चुका है।

(ग) जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था की तरफ से अन्तराष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले चुका हो।

अथवा

जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त क्रीड़ा संघ/स्पोर्टस बोर्ड द्वारा नामित होकर राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका हो।

(5)- खिलाडियों की चयन समिति में सम्बन्धित खेल का एक सदस्य विभाग द्वारा नामित किया जायेगा व एक सदस्य सम्बन्धित खेल संघ का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6)- खेल विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के लिए आवश्यकता पड़ने पर अकादमी की सुविधायें वर्ष में 15 दिन तक नि:शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

(7)- अकादमी का उपयोग संबंधित आवेदक द्वारा सम्बन्धित खेल के लिए किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। प्रति वर्ष अकादमी की प्रगति रिपोर्ट माह जून में शासन/निदेशक, खेल को उपलब्ध करायी जायेगी और वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी।

6- <u>स्वामित्व के सम्बन्ध में :-</u>

(1)- अकादमी सम्बन्धित आवेदक को लीज/अनुबन्ध पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तो के अधीन दी जायेगी।

(2)- सरकार एवं अकादमी के आपसी समझौते की अवधि 30 वर्ष की होगी। लीज अवधि समाप्त होने पर अकादमी के क्रियाकलापों की समीक्षा के आधार पर 30 वर्ष के लिये यह एक बार बढ़ाई जा सकेगी।

कृपया राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 2087(1)/बयालिस-2016-तदिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2)- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(3)- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4)- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5)- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6)- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7)- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8)- कम्प्यूटर प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in